संचिका संख्या : 5688/4/16/2021

दिनांक : .01.07.2022

आवेदक एक सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय सचिव के द्वारा पुलिस के असहयोग के चलते एक व्यक्ति को बेटे का श्व को बेग में ले जाने को मजबूर होने के आरोप के लगाते हुए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के अनुरोध के साथ यह आवेदन प्रेषित की गई है।

जिला अधिकारी भागलपुर के पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक नौगछिया के पत्र एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौगछिया का प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित मामलों की जांच के क्रम में पाया गया कि हरिओम यादव पे0 श्रवण यादव सा0 करारी तीनटंगा थाना गोपालपुर जिला भागलपुर की मृत्यु दिनांक 26.02.2021 को गंगा पार करने के दौरान नदी में डुबने से हो गयी जिस संबंध में गोपालपुर थाना यू0डी0 काण्ड सं0 01/21 दिनांक 03.03.2021 दर्ज है जिसका जॉच पदाधिकारी पु0अ0नि0 राजदेव प्रसाद रमण गोपालपुर थाना थे। 03 मार्च 2021 को हरिओम यादव का क्षत विक्षत शव कटिहार के खेरिया गंगा घाट (थाना कुर्सेला) पर मिला। जिसकी पहचान मृतक हरिओम यादव के पिता श्रवण यादव सा0 तीनटंगा करारी थाना गोपालपुर जिला भागलपुर द्वारा अपने मृतक पुत्र हरिओम कुमार के रूप में किया गया। उक्त सूचना पर पास के थाना गोपालपुर थाना नवगछिया से पु0अ0नि0 राजदेव प्रसाद रमण (यू0डी0 काण्ड सं0 01/21 दिनांक 03.03.2021 के जॉच पदाधिकारी) एवं कुर्सेला थाना (कटिहार) से स0अ0नि0 नन्दलाल चौधरी (कुर्सेला थाना) दल बल के साथ वहॉ पहूंचे जिनके द्वारा विधिवत इनक्वेस्ट तैयार कर शव को पुलिस कब्जा में सुरक्षित रखना चाहिए था परन्तु शव को अपने संरक्षण में नहीं लेकर पिता तेजू यादव को शव पोस्टमार्टम हेतु भागलपुर सदर अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया और तेजू यादव कोई साधन नहीं मिलने पर प्लास्टिक के थैले में बेटे का शव लेकर पैदल कुर्सेला पहूंचे। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि इस आशय का दिनांक 07.03. 2021 को सोशल मिडिया पर न्यूज प्रकाशित हुआ। जिसे संज्ञान में लेते हुए सोशल मिडिया

पर प्रकाशित न्यूज का तत्क्षण जॉच/सत्यापन के क्रम में पाया गया कि पु0अ0नि0 राजदेव प्रसाद रमण गोपालपुर थाना नवगछिया एवं स0अ0नि0 नन्दलाल चौधरी कुर्सेला थाना

कटिहार द्वारा पुलिस के कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरती गयी है जो मानवीय संवेदना के प्रति उनके शून्यता का परिचायक है। इस कृत्य से पुलिस की छवि धुमिल हुई है। अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं मानवीय संवेदनहीनता के आरोप में पु0अ0नि0 राजदेव प्रसाद रमण तत्कालीन गोपालपुर थाना को नवगछिया जिलादेश सं0—261/2021 तदनुसार ज्ञापांक 2721/गो0, दिनांक 07.03.2021 के द्वारा तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया गया तथा इनके विरुद्ध नवगछिया पुलिस जिला विभागीय जॉच सं0— 13/2021 प्रारम्भ किया गया एवं संचालनोपरान्त पु0अ0नि0 राजदेव प्रसाद रमण को दोषी पाया गया है।

आवेदक के द्वारा लगाये गये आरोप काफी संवेदनशील है और पुलिस तथा प्रशासन के संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है। प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा भी जाँच के उपरांत आवेदक के द्वारा लगाये गये आरोप को सही पाते हुए इसे पु0अ0नि0 राजदेव प्रसाद रमण, स0अ0नि0 नन्दलाल चौधरी तत्कालीन गोपालपुर थाना नवगछिया के लापरवाही के कारण घटित होना पाया गया है। दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चलाते हुए तथा उन्हें निलंबित किया गया है। विभाग जांच संख्या 13/21 में समोक्षोपरांत राजदेव प्रसाद रमण को दोषी पाया गया है। परन्तु तत्कालीन पु0अ0नि0 राजदेव प्रसाद रमण को किस तरह का दण्ड दिया गया यह प्रतिवेदन में स्पष्ट नहीं है।

अतः ऐसे संवेदनशील मामले जिसके कारण समाज में प्रशासन एवं पुलिस के छवि धुमिल हुई है के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध उचित दण्ड दिये जाने की अनुशंसा के साथ ही प्रशासन को हर प्रखंड में शव वाहन उपलब्ध कराये जाने की अनुशंसा की जाती है जिस से भविष्य में ऐसे घटना की पुनर्रावृत्ति न हो सके। उपरोक्त अनुशंसा के साथ इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है। आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson